आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य तथा
श्री परेश एम. जोशी, न्यायिक सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 521/इंदौर/2024
निर्धारण वर्ष : 2012-13

संदीप पोटे, प्रभुढाना, पोस्ट खेडी सांवलीगढ़, तहसील बैतुल बैतुल (म.प्र)	बनाम	आयकर अधिकारी , बैतुल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं- एएसओपीपी4325 पी PAN- ASOPP4325P		

अपीलार्थी की ओर से	कोई नहीं
राजस्व की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	24.03.2025
उद्घोषणा तिथि	24.03.2025

आदेश

श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2012-13 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान अतिरिक्त/संयुक्त आयकर आयुक्त (अपील)-7, मुंबई के आदेश दिनांक 20.03.2024 के विरूद्ध निदेशित है, जो कि आयकर अधिकारी, बैतुल के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144/143(3) के अधीन आदेश दिनांक 08.11.2019 से उद्भूत है ।

2. रजिस्ट्री द्वारा सूचित किया गया है कि यह अपील 45 दिनों से कालबाधित है । इस संबंध में निर्धारिती द्वारा विलंब की माफी हेतु आवेदन दाखिल किया गया है जिसमें यह निवेदन किया गया कि इस प्रकरण में आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा 20.03.2024

को आदेश पारित किया गया था तथा इसे रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर भेजा गया था । यद्यपि, यह ई-मेल आईडी अधिवक्ता की थी और आदेश कि प्रति समय पर निर्धारिती के संज्ञान में लाना रह गई थी । बाद में, निर्धारिती के अधिवक्ता ने आयकर पोर्टल चैक करके अपील पारित होने के विषय में निर्धारिती को सूचना दी । तत्पश्चात, निर्धारिती ने अपील दाखिल करने हेतु सुसंगत दस्तावेज जैसे बैंक स्टेटमेंट तथा बस ऋण फाईनेंस स्टेटमेंट इत्यादि एकत्रित करना आरंभ किया जिसमे काफी समय लग गया । इसके अतिरिक्त, निर्धारिती के अधिवक्ता अन्य शहर अर्थात नागपुर में रहते है, इन सभी कारणों से निर्धारिती को अपील दाखिल करने में 45 दिनों का विलंब हुआ । निर्धारिती निवेदन किया कि अपील दाखिल करने में विलंब साभिप्राय तथा जानबूझकर नहीं किया गया है अतः उन्होंने इस विलंब को माफ करने हेतु अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निर्धारिती के इस अनुरोध पर आपत्ति नहीं की । हमने पाया कि अपील दाखिल करने में विलंब तर्कसंगत वजह से हुआ है अतः हम इस विलंब को माफ करते है तथा अपील सुनवाई हेतु लेते है ।

3. इस अपील के संबंध में निर्धारिती ने लिखित निवेदन दिनांक 23.01.2025 दाखिल किया है जिसमें निवेदन किया गया है कि निर्धारिती ने "**प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024**" के अधीन आवेदन किया है । निर्धारिती के आवेदन के उत्तर में विभाग द्वारा निर्धारिती को फार्म सं. 2 जारी किया गया है । उक्त योजना के नियमों के अनुसार, निर्धारिती से यह अपील वापिस लेना अपेक्षित है । अतः निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नही है । निर्धारिती ने विभाग द्वारा जारी फार्म सं. 2 और 4 की प्रतियां भी प्रस्तुत की हैं । निर्धारिती ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है। अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

4. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार, विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि उसका इस योजना में भाग लेने हेतु किए गए आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से अस्वीकृत किया जाता है ।

5. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 24.03.2025 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(परेश एम.जोशी)	(बी.एम. बियाणी)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 24.03.2025

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल